रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-27012022-232932 CG-DL-E-27012022-232932

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 351] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 27, 2022/माघ 7, 1943 No. 351] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 27, 2022/MAGHA 7, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली. 27 जनवरी. 2022

का.आ. 359(अ).—केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 109 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1365 (अ) तारीख 13 दिसंबर, 2004 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :- उक्त अधिसूचना में,-

- (क) सारणी के, क्रम संख्यांक 8 और क्रम संख्यांक 43 में जहां कहीं भी, "21 मार्च, 2021" शब्द और अंक आए हों उसके स्थान पर "21 सितंबर, 2022" शब्द और अंक रखे जाएंगे;
- (ख) सारणी क के, क्रम सख्यांक 6 में, "21 मार्च, 2022" अंकों और शब्दों के स्थान पर "21 सितंबर, 2022" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;
- (ग) सारणी ख ई-रिक्शा और ई-गाड़ी के लिए सुरक्षा मानक के क्रम संख्यांक 2, में "21 मार्च, 2022" अंक और शब्द जहां कहीं भी वे आते हैं के स्थान पर "21 सितंबर, 2022" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

[फा.सं. 11036/17/2021-एमवीएल] अमित वरदान, संयुक्त सचिव

552 GI/2022 (1)

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1365 (अ), तारीख 13 दिसंबर, 2004 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1406(अ), तारीख 22 मार्च, 2021 और का.आ. 2914 (अ), तारीख 22 जुलाई, 2021 द्वारा संशोधित की गई।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 2022

S.O. 359(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 109 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1365(E), dated the 13th December, 2004, published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely: -

In the said notification, -

- (a) in the Table, in serial numbers 8 and 43, for the figures, letters and word "21st March, 2022", wherever they occur, the figures, letters and word "21st September, 2022" shall be substituted;
- (b) in the Table A, in serial number 6, for the figures, letters and word "21st March, 2022", the figures, letters and word "21st September, 2022" shall be substituted;
- (c) in the Table B Safety Standards for E-rickshaws and E-carts, in serial number 2, for the figures, letters and word "21st March, 2022", wherever they occur, the figures, letters and word "21st September 2022" shall be substituted.

[F. No.11036/17/2021-MVL] AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number S.O. 1365(E), dated the 13th December, 2004 and lastly amended *vide* notifications numbers S.O. 1406(E), dated the 22nd March, 2021 and S.O. 2914(E), dated the 22nd July, 2021.